भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3727

21 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए नियत

नए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण

3727. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:
श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:
श्री मगुंटा श्री निवासुलू रेड्डी:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत नई हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाइयां और बैटरी निर्माण इकाइयां स्थापित की हैं एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसी इकाइयां स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): जी नहीं। राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनियों सहित ऑटोमोबिल और ऑटो घटक कंपनियों को सहायता देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित दो उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें लागू कर रहा है:

i. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 50 गीगा वाट घंटे की विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी), बैटरी भंडारण विनिर्माण केंद्रों की स्थापना हेतु 5 वर्षों के लिए 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया।

ii. सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पांच वर्षों की अवधि में 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को अनुमोदित किया है।

***